भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

आतारांकित प्रश्न सं. 4233

19 अगस्त, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: पराली जलाने के विकल्प

4233. श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डाः

क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश में, विशेषकर उत्तरी राज्यों में, पराली जलाने की वर्तमान सीमा और क्षेत्रीय पैटर्न का आकलन किया है;

(ख) पराली जलाने के विकल्पों, जैसे फसल विविधीकरण और यथास्थान अवशेष प्रबंधन, को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत मशीनरी और उपकरणों के लिए प्रदान की जाने वाली राजसहायता की प्रभावशीलता का कोई मूल्यांकन किया गया है; और

(घ) क्या सरकार का प्रोत्साहन, जागरूकता अभियान या सख्त प्रवर्तन के माध्यम से पराली जलाने की घटनाओं को कम करने के लिए राज्य सरकारों और किसान संगठनों के साथ मिलकर काम करने का विचार है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क): धान की फसल की कटाई और अगली रबी फसल की बुआई के बीच कम समय होने के कारण मुख्यतः पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश राज्यो मे गंगा के मैदानी इलाकों में धान की पराली जलाई जाती है। धान के अवशेषों को जलाने के कारण होने वाली सक्रिय आग की घटनाओं की निगरानी रिमोट सेंसिंग उपग्रह का उपयोग करके कॉन्सॉर्टियम फॉर रिसर्च ऑन एग्रोएकोसिस्टम मॉनिटरिंग एंड मॉडेलिंग फ्रॉम स्पेस (क्रिम्स) प्रयोगशाला, कृषि भौतिकी प्रभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) - भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (आईएआरआई), नई दिल्ली द्वारा की जाती है। उनकी रिपोर्ट के अनुसार, 2018 से 2024 की अवधि के लिए 15 सितंबर से 30 नवंबर के बीच पाई गई पराली जलाने की घटनाओं का विवरण नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है:

राज्य	राज्यों में धान की पराली जलाने की घटनाएँ (संख्या)						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
पंजाब	59664	50735	83002	71304	49922	36650	10909
हरियाणा	9227	6364	4202	6987	3661	2296	1406
उत्तर प्रदेश	6623	4230	4631	4242	3017	3985	6142
कुल	75514	61329	91835	82533	56600	42931	18457

वर्ष 2018 की तुलना में वर्ष 2024 में धान की पराली जलाने की घटनाओं में कुल 75.6 प्रतिशत की कमी हुई।

(ख): धान की पराली जलाने से होने वाले वायु प्रदूषण को दूर करने और फसल अवशेष के प्रबंधन के लिए आवश्यक मशीनरी पर सब्सिडी देने के लिए पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली राज्यों के प्रयासों को सहायता प्रदान करने के लिए, कृषि और किसान कल्याण विभाग वर्ष 2018-19 से इन राज्यों में फसल अवशेष प्रबंधन (सीआरएम) योजना कार्यान्वित कर रहा है। इस योजना के तहत, फसल अवशेष प्रबंधन मशीनों की खरीद के लिए किसानों को मशीन की लागत की 50% वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है तथा फसल अवशेष प्रबंधन मशीनों के कस्टम हायरिंग सेंटर (सीएचसी) की स्थापना के लिए 30 लाख रुपये तक की परियोजनाओं के लिए 80% परियोजना लागत सहायता प्रदान की जाती है। इन राज्यों में उत्पन्न धान की पराली के अन्यत्र स्थाने (एक्स-सीटू) कुशल प्रबंधन के उद्देश्य से, बायोमास बिजली उत्पादन और जैव ईंधन क्षेत्रों में विभिन्न अंतिम प्रयोक्ता उद्योगों के लिए धान की पराली की सुचारु आपूर्ति श्रृंखला स्थापित करने हेतु 1.50 करोड़ रुपये तक की लागत वाली मशीनरी की पूंजीगत लागत पर 65% की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। जैव-अपघटक (कवक प्रजातियों का सूक्ष्मजीवी संघ) को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे धान की पराली का स्व-स्थाने अपघटन जल्दी हो जाता है। इन राज्यों में फसल विविधीकरण कार्यक्रम भी कार्यान्वित किया जा रहा है ताकि मुख्य रूप जल गहन धान की फसल के क्षेत्र का दलहन, तिलहन, मोटे अनाज, पोषक अनाज और कपास जैसी वैकल्पिक फसलों के लिए प्रयोग किया जा सके। कार्यान्वयन करने वाले राज्य सरकारों द्वारा वैकल्पिक फसल प्रदर्शनों के लिए किसानों को दलहन के लिए 9000 रुपये प्रति हेक्टेयर, मक्का और जौ के लिए 7500 रुपये प्रति हेक्टेयर, हाइब्रिड मक्का के लिए 11500 रुपये प्रति हेक्टेयर और पोषक अनाज के लिए 7500 रुपये प्रति हेक्टेयर सहायता प्रदान की जाती है।

(ग): सीआरएम योजना के अंतर्गत, वर्ष 2018-19 से 2025-26 (31 जुलाई 2025 तक) की अवधि के दौरान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) को 3926.16 करोड़ रुपये की राशि जारी की जा चुकी है। राज्यों द्वारा फसल अवशेष प्रबंधन मशीनों के 42,000 से अधिक कस्टम हायरिंग सेंटर (सीएचसी) स्थापित किए गए हैं और इन सीएचसी तथा इन राज्यों के किसानों को 3.24 लाख से अधिक फसल अवशेष प्रबंधन मशीनों की आपूर्ति की गई है।

(घ): सरकार बहुआयामी दृष्टिकोण को अपनाकर पराली जलाने को कम करने हेतु राज्य सरकारों और किसानों सहित विभिन्न अन्य हितधारकों के साथ सक्रिय रूप से कार्य कर रही है, जिसमें फसल अवशेषों के यथा-स्थाने और अन्यत्र स्थाने प्रबंधन हेतु विभिन्न मशीनों और उपकरणों की खरीद के लिए सीआरएम योजना के तहत वित्तीय सहायता प्रदान करना और जागरूकता अभियान आयोजित करना शामिल है। एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने वर्ष 2025 के दौरान धान की पराली जलाने की रोकथाम और नियंत्रण के लिए रूपरेखा और कार्य योजना के सख्त कार्यान्वयन के लिए संबंधित राज्यों को निर्देश संख्या 90 दिनांक 09.05.2025 जारी किया है, जिसका लक्ष्य सख्त कार्यान्वयन के माध्यम से इस पद्धति को समाप्त करना है। इस कार्य योजना में फसल अवशेष का यथा-स्थाने प्रबंधन, धान की पराली का अन्यत्र स्थाने उपयोग, फसल विविधीकरण, सख्त निगरानी और कार्यान्वयन, और व्यापक जागरूकता अभियान जैसे उपाय शामिल हैं।

*****